हैज़ की हालत मे

क़ुरआन-ए-करीम की तिलावत

तहरीर:

शैख़ मक़बूल अहमद सलफ़ी हाफ़िज़ाहुल्लाह

Maqubool Ahmed Salafi Maquboolahmad.Blogspot.com
SheikhMaqubool AhmedFatawa islamiceducon@gmail.com
Sheikh Maqbool Ahmed salafi Off page 00966531437827

हैज़ की हालत मे क़ुरआन-ए-करीम की तिलावत

तहरीर: शैख़ मक़बूल अहमद सलफ़ी हाफ़िज़ाहुल्लाह

हिंदी मुतर्जिम: हसन फ़ुज़ैल

अहल-ए-इल्म में इख़्तिलाफ़ के बाइस ख़वातीन में यह मसला काफ़ी तशवीश (परेशानी) का बाइस है कि हाइज़ा औरत क़ुरआन की तिलावत कर सकती है या नहीं कर सकती है, चुनांचे इस सिलसिले में सही और दुरुस्त क़ौल यह है कि हाइज़ा औरत क़ुरआन की तिलावत कर सकती है।

इस मसले को तफ़सील से जानने के लिए आपके सामने वह सारे निकात (पॉइंट्स) पेश करता हूँ जिनकी वजह से दिल को इस बात पर इत्मिनान हासिल होता है कि हाइज़ा औरत भी क़ुरआन की तिलावत कर सकती है।

(1)इस सिलसिले में सबसे बुनियादी मसला यह है कि क़ुरआन महज़ तिलावत की किताब नहीं है, यह दस्तूर-ए-हयात है, इस किताब से हमारे रोज़-ओ-शब (दिन और रात) बल्कि जिंदगी का एक-एक लम्हा जुड़ा हुआ है।

हर वक्त इससे हमें मरबूत रहना है, इसमें ग़ौर-ओ-फ़िक्र करते रहना है और इसे समझ कर पढ़ते रहना है ताकि हमें अल्लाह का हुक्म मालूम होता रहे, हिदायत मिलती रहे और हम उस पर अमल करते रहें। इस तरह जब हम नुज़ूल-ए-क़ुरआन के मक़सद पर ग़ौर करते हैं तो मालूम होता है कि मर्द की तरह एक औरत को भी हमेशा दीन के अहकाम जानने के लिए क़ुरआन पढ़ते रहना चाहिए।

क़ुरआन पर अमल करने के लिए क़ुरआन की तिलावत है ही, उसकी तबलीग़ के लिए भी क़ुरआन को पढ़ने और क़ुरआन सुनाने की ज़रूरत है जैसे नबी ﷺमुसलमान और ग़ैर-मुसलमान सब पर क़ुरआन पढ़ते ताकि वे अल्लाह के अहकाम को समझें और हिदायत हासिल करें। आपने बादशाहों के नाम जो ख़त लिखा उसमें क़ुरआनी आयतें भी होती थीं। अगर एक काफ़िर बावजूद-ए-नजिस होने के क़ुरआनी आयतों को छू सकता है और पढ़ सकता है तो मोमिना औरत ताहिर होने के बावजूद हैज़ की हालत में क्यों नहीं पढ़ सकती है?

इसी तरह तिलावत-ए-क़ुरआन से जुड़ा एक और मसला है वह यह कि समझ कर कम अज़ कम तीन दिन में क़ुरआन ख़त्म करने की इजाज़त है, नबी ﷺका फ़रमान है:

لاَ يفقَهُ من قرأَهُ في أقلَّ من ثلاثٍ(صحيح أبي داود:1390)

तर्जुमा: जिसने क़ुरआन तीन दिन से कम में पढ़ा उसने क़ुरआन समझा ही नहीं।

आम तौर पर औरतों को तीन दिनों से ज़्यादा हैज़ आता है, औरतों को इस फासिले में तिलावत से रोकना बहुत सारे ख़ैर से रोकने के बराबर है जबकि तीन दिन में क़ुरआन ख़त्म करने की एक मोमिन को इजाज़त है। इस हदीस से यह मालूम होता है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरत को कभी तिलावत छोड़ना ही नहीं चाहिए, हमेशा समझ कर तिलावत करते रहना चाहिए।

इस जगह यह भी हमें ज़हन में रखना है कि औरतों को हैज़ की वजह से "नाक़िसात-उद-दीन" कहा गया है यानी दीन में नाक़िस। नबी ﷺ ने नाक़िसात-उद-दीन की इस तरह वज़ाहत फ़रमाई है: أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟(जब औरत हाइज़ा हो तो न नमाज़ पढ़ सकती है न रोज़ा रख सकती है) (बुख़ारी:304) इस तरह हैज़ की वजह से औरतों को दीन का नुक़सान होता ही है, मज़ीद तिलावत-ए-क़ुरआन के अज्र से उनका नुक़सान नहीं किया जा सकता है और नबी ﷺ ने दो ही नुक़सान बताए हैं इसलिए हम अपनी तरफ़ से औरतों के हक़ में तीसरे नुक़सान का इज़ाफ़ा नहीं करेंगे।

दस्तूर-ए-हयात यानी क़ुरआन करीम से मुताल्लिक़ इन बुनियादी चंद निकात से मालूम होता है कि मर्द की तरह एक औरत भी हमेशा क़ुरआन

पढ़ती रहे चाहे वह हैज़ की हालत में क्यों न हो क्योंकि दीन का इल्म लेना हैज़ में भी ज़रूरी है, दीन पर अमल करना हैज़ में भी ज़रूरी है और दीन की तबलीग़ करना हैज़ में भी ज़रूरी है।

(2)हैज़ वाली औरत क़ुरआन की तिलावत कर सकती है, इस बारे में दूसरी बड़ी दलील यह है कि क़ुरआन की तिलावत भी ज़िक्र है और एक आदमी हर हाल में ज़िक्र कर सकता है। हज़रत आयशा رض से रिवायत है, उन्होंने कहा:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ (सहीह मुस्लिम:373)

तर्जुमा: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम औक़ात में अल्लाह तआला का ज़िक्र करते थे।

अल्लाह तआला ने पूरे क़ुरआन को ज़िक्र कहा है, इर्शाद बारी त'आला है:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (अल-हिज्र:9)

तर्जुमा: हमने ही इस ज़िक्र (क़ुरआन) को नाज़िल फ़रमाया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं।

इस जगह आप ग़ौर करें कि एक मोमिना औरत पर सुबह-ओ-शाम होते हैं, वह सोती-जागती है और सारे कामकाज करती है। हालत-ए-हैज़ में भी सारे

काम करने पड़ते हैं, हत्ता कि जमी (तमाम) इबादात भी अंजाम देती है सिवाए नमाज़ और रोज़े के। हाइज़ा औरत के मिंजुमला आमाल में सुबह-ओ-शाम और सोने-जागने के अज़कार भी हैं जिन्हें वह रोज़ाना पढ़ती है। इन अज़कार में कितनी आयतें और कितनी सूरतें हैं जिन्हें रोज़ाना कई-कई मर्तबा पढ़ना पड़ता है। जैसे आयतुल-कुर्सी की तिलावत सुबह, शाम और सोते वक्त यानी चौबीस घंटे में तीन मर्तबा पढ़ना है। सूरह इख़लास, सूरह फ़लक़ और सूरह नास सुबह-ओ-शाम और सोते वक्त मिलाकर कुल सत्ताईस मर्तबा (नौ मर्तबा सुबह, नौ मर्तबा शाम और नौ मर्तबा सोते वक्त) इन सूरतों को पढ़ना है। सोते वक्त सूरह बक़रा की दो आयतें, सूरह ज़ुमर, सूरह बनी इस्राईल, सूरह सज्दा और सूरह मुल्क भी पढ़ना मसनून है। आप इन आयतों और सूरतों से अंदाज़ा लगाएं कि एक औरत को हालत-ए-हैज़ में चौबीस घंटे इस क़दर क़ुरआन पढ़ना होता है और इस सिलसिले में कोई मुमान'अत (रोक टोक) साबित नहीं है, न ही किसी अहल-ए-इल्म ने कहा है कि हाइज़ा (हैज़ वाली) औरत इन आयतों और सूरतों को न पढ़े। यहां से यह बात पूरी तरह समझ में आती है कि जिस तरह हाइज़ा औरत तमाम क़िस्म के अज़कार पढ़ सकती है, उसी तरह क़ुरआन की तिलावत भी कर सकती है।

(3)हाइज़ा (हैज़ वाली) औरत क़ुरआन की तिलावत नहीं कर सकती है, ऐसी कोई सरीह और सहीह दलील नहीं है, न ही किसी सहाबिया से इस हालत में क़ुरआन न पढ़ने की दलील मिलती है। हालत-ए-हैज़ में इबादात के ताल्लुक़

से इस्लाम ने जिन आमाल से मुअय्यन तौर पर मना किया है उनमें नमाज़ और रोज़ा है। तिलावत भी इबादत है और हमेशा वाली इबादत है जबकि नमाज़ चौबीस घंटे में पांच बार और रोज़ा साल में एक माह फ़र्ज़ है, अगर हालत-ए-हैज़ में तिलावत-ए-क़ुरआन मना होती तो शरीअत में ज़रूर सराहत के साथ इसकी मुमान'अत होती और अह्द-ए-रिसालत की ख़वातीन से इस हालत में क़ुरआन न पढ़ना मंक़ूल होता है जबकि ऐसा कुछ मज़कूर नहीं है।

ईद की नमाज़ भी नमाज़ ही है इसके बावजूद रसूलुल्लाह ﷺ ने हाइज़ा औरतों को ईदगाह निकलने का हुक्म दिया है, किसी औरत के पास पर्दे का इंतज़ाम न हो तब भी अपनी मुस्लिम बहन के साथ उसके पर्दे में जाने का हुक्म दिया है और फिर हाइज़ा के ईदगाह आने का मक़सद भी और जवाज़ वाला अमल भी बताया है। उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह से रिवायत करती हुई बयान करती हैं:

فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ(صحيح مسلم :890)

तर्जुमा: पस हाइज़ा (मासिक धर्म वाली) औरतें नमाज़ से दूर रहें, लेकिन वे ख़ैर-ओ-बरकत और मुसलमानों की दुआ में शामिल हों। ईद की नमाज़ के मौक़े पर सिर्फ़ नमाज़ से मना किया गया है और नमाज़ के अलावा जो ख़ैर के काम हैं जैसे ज़िक्र, तिलावत और दुआ वग़ैरह से फ़ायदा उठाने की इजाज़त दी है।

एक दूसरी रिवायत में उम्मे अतिया ही बयान करती हैं:

الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ(صحيح مسلم :890)

तर्जुमा: हाइज़ा औरतें भी निकलेंगी और लोगों के पीछे रहेंगी और लोगों के साथ तकबीर कहेंगी।

इस रिवायत से मालूम हुआ कि हाइज़ा औरतें ईद की तकबीरात भी कहेंगी। तिलावत भी ख़ैर का काम और ज़िक्र है। वे मुसल्ली-ए-ईद में तिलावत भी कर सकती हैं। अगर हाइज़ा के लिए ज़िक्र और तिलावत मम्नू होती, तो आप ﷺइस मौक़े पर जिस तरह नमाज़ से मना किया है, तिलावत से भी मना फ़रमाते।

(4)जिस तरह मर्द को शैतान से ख़तरा है, उसी तरह औरत को भी शैतान से ख़तरा है। बल्कि औरत को मर्द से कहीं ज़्यादा ख़तरा है। इसलिए शैतान के शर से हिफ़ाज़त के लिए हाइज़ा औरत क़ुरआन की तिलावत कर सकती है। बख़ूबी जब औरत को कोई बीमारी लाहिक़ हो या आसेब (मुसीबत) वग़ैरह का अंदेशा हो, तो क़ुरआन पढ़कर अपने ऊपर दम कर सकती है और हाइज़ा की हालत में किसी दूसरी औरत पर भी क़ुरआन पढ़कर दम कर सकती है। नबी ﷺमर्ज़-ए-मौत में मु'अव्विज़ात (सूरह इख़लास, सूरह फ़लक़, और सूरह नास) पढ़कर अपने ऊपर दम करते थे और जब आपके लिए बीमारी की

शिद्दत में दम करना दुश्वार हो गया, तो सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आप पर इन सूरतों को पढ़कर दम करती थीं। किसी औरत को जिस्मानी कोई तकलीफ़ हो और वह हैज़ की हालत में हो, तो बिला शक क़ुरआन पढ़कर अपने ऊपर दम कर सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है।

(5)हज एक ऐसी इबादत है जिसमें कई क़िस्म के आमाल अंजाम दिए जाते हैं, मगर हाइज़ा वाली को सिर्फ़ तवाफ़ से रोका गया है। हज के दौरान रसूलुल्लाह ﷺ ने सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को जो हालत-ए-हैज़ में थीं हुक्म दिया:

افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي(صحيح البخارى:1650)

तर्जुमा: जिस तरह दूसरे हाजी करते हैं तुम भी उसी तरह (अरकान-ए-हज) अदा कर लो, हाँ, बैतुल्लाह का तवाफ़ पाक होने से पहले न करना।

हज कई दिनों पर मुश्तमिल मुख़्तलिफ़ क़िस्म की इबादतों के मज्मूआ का नाम है। इतने दिनों वाले हज में हाइज़ा को बस तवाफ़ से रोका गया है। बाक़ी वह तमाम आमाल अंजाम देंगी।

ऐसे में यह बात वाज़ेह है कि हाइज़ा ज़िक्र, तलबिया, तिलावत, दुआ जैसे आमाल अंजाम देंगी। जब हाइज़ा हज में तिलावत कर सकती है, तो हज के अलावा दिनों में भी तिलावत कर सकती है।

(6)मोमिन कभी नापाक नहीं होता इसलिए हाइज़ा और निफ़ास की हालत में औरत हुक्मन पाक ही रहती है। नबी ﷺ का फ़रमान है:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ(صحيح البخاري:285)

तर्जुमा: बेशक मोमिन नापाक नहीं होता।

लिहाज़ा हाइज़ा के लिए कुरआन पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। नबी ﷺ एक मर्तबा आधी रात को सोकर उठे और बिना वुज़ू के सूरह आले इमरान की तिलावत फ़रमाई (सहीह बुख़ारी: 183) इससे यह भी मालूम होता है कि आदमी बिना वुज़ू के भी तिलावत कर सकता है क्योंकि मोमिन की असल तहारत है। जब एक मोमिना औरत हैज़ की हालत में भी पाक है, तो वह कुरआन की तिलावत कर सकती है। हां, इस हालत में शरीअत ने जिन ख़ास इबादतों से मना किया है, उन से रुक जाना है और वह नमाज़ व रोज़ा है।

(7)आज बड़ी तादाद में लड़कियां दीनी तालीम हासिल कर रही हैं। बड़े-बड़े निस्वाँ इदारे चल रहे हैं, जिनमें कई उस्तानी और बे-शुमार लड़कियां ज़ेर-ए-

तालीम हैं। अगर हैज़ में क़ुरआन पढ़ने से रोका जाए तो तमाम निस्वाँ मदरसों के निज़ाम-ए-तालीम में एक बड़ा ख़लल पैदा हो जाएगा क्योंकि उस्तानी समेत तमाम लड़कियों को हर माह कई-कई दिन माहवारी आती है। ऐसे में पढ़ने और पढ़ाने का पूरा निज़ाम दरहम-बरहम हो जाएगा यहां तक कि कितनी लड़कियों को इम्तिहान से हाथ धोना पड़ेगा। अल्लाह तआला बनात-ए-आदम पर हैज़ को लिख दिया है जो हर माह मुक़र्रर वक्त पर तमाम ख़ातून को आता है और इसके आने से औरत नजिस नहीं कहलाएगी। वह पाक ही है और क़ुरआन जो दस्तूर-ए-हयात है, पढ़ने-पढ़ाने, अमल करने और फैलाने वाली किताब है, इस को हैज़ में पढ़ने से मना नहीं किया जा सकता है।

(8)साल में एक बार माह-ए-रमज़ान आता है। औरत इस माह भी हाइज़ा होती है यहां तक कि आख़री अश्रे और इसकी ताक़ रातों (लैलत-उल-क़द्र) को भी कितनी औरत हैज़ में होती हैं। अगर औरत को इन मुबारक दिनों में तिलावत-ए-क़ुरआन से रोका जाए तो अज्र के एतिबार से औरतों के हक़ में बड़ी महरूमी है। बल्कि नबी ﷺ ने ऐसी औरत को ईद के दिन ईद-उल-फ़ितर की बरकत व सआदत समेटने का मौक़ा दिया है, सिर्फ़ नमाज़-ए-ईद से मना किया है। इससे समझा जा सकता है कि औरत हैज़ की हालत में रमज़ान-उल-मुबारक के बाबरकत लम्हात से मुस्तफ़ीद हो सकती है और वह क़ुरआन

की तिलावत कर सकती है। कितनी सारी औरतों पर जुमे का सूरज तुलू होता है और वह हैज़ की हालत में होती हैं, या कभी अश्रे ज़िलहिज्जा हो या यौम-ए-अरफ़ा हो, इन दिनों में कोई औरत हैज़ में हो सकती है। तो सवाल यह है कि क्या औरतों को इन दिनों से फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं है, क्या ये दिन सिर्फ़ मर्दों के लिए हैं या कह लें कि औरत को सिर्फ़ माहवारी आने से इन दिनों की बरकत से महरूम किया जा सकता है? नहीं। वह नमाज़ व रोज़ा से पहले से महरूम है, बाक़ी इबादतें यानी ज़िक्र, दुआ, तिलावत वग़ैरह कर सकती है क्योंकि इन तमाम मौक़े पर कहीं औरतों के लिए तिलावत की मुमान'अत साबित नहीं है।

हाइज़ा औरत और तिलावत-ए-कुरआन से मुताल्लिक़ आख़िरी नुक्ता:

सुतूर-ए-बाला में जो उमूर ज़िक्र किए गए हैं, उनसे यह बात वाज़ेह होती है कि हाइज़ा को तिलावत-ए-कुरआन से नहीं रोका जा सकता है यानी ब-हालत-ए-हैज़ औरत क़ुरआन की तिलावत कर सकती है, ख़वाह मुअल्लिमा हो, तालिबा हो, क़ारिया हो या आम हाइज़ा औरत हो। सभी औरतें क़ुरआन की तिलावत कर सकती हैं। इस जगह हाइज़ा औरत को एक मशविरा यह देना चाहता हूं कि अगर आप ज़बानी क़ुरआन की तिलावत करती हैं तो इसमें कोई

मसला ही नहीं है। लेकिन देखकर मुसहफ़ से तिलावत कर रही है और आप मोबाइल से क़ुरआन पढ़ सकती हैं, तो बेहतर है कि मोबाइल से तिलावत करें ताकि मुसहफ़ छूना न पड़े। मोबाइल में क़ुरआन के एक से एक एप्लिकेशन मौजूद हैं। बड़े-बड़े फॉंट में क़ुरआनी ऐप मौजूद हैं, इसलिए आप मोबाइल से या फिर आई-पैड, लैपटॉप या कंप्यूटर से तिलावत करें।

हां, आपके पास मोबाइल से पढ़ने की सहूलियत नहीं हो या मुसहफ़ से ही क़ुरआन पढ़ने की ज़रूरत हो जैसे मुअल्लिमा और तालिबा तो फिर मुसहफ़ से देखकर या हाथ में लेकर भी क़ुरआन पढ़ सकती हैं। ऐसी सूरत में आप अपने हाथ में दस्ताना लगाएं। इमाम बुख़ारी ने अपनी सहीह में "किताब-उल-हाइज़" (बाब-ए-क़िराअत-ए-रजुल-फी-हिज्र-ए-इमरा-ति-ही-वा-ही-हाइज़) के तहत तर्जुमा-ए-बाब के तौर पर एक असर ज़िक्र किया है: وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ: «يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ، فَتَأْتِيهِ بِالْمُصْحَفِ، فَتُمْسِكُهُ بِعِلاَقَتِهِ»

तर्जुमा: अबू वाइल अपनी ख़ादिमा को हैज़ की हालत में अबू रज़ीन के पास भेजते थे और वह उनके यहां से क़ुरआन मजीद जुज़दान में लपेटा हुआ अपने हाथ से पकड़ कर लाती थी।

इमाम बुख़ारी ने इस असर को अगरचे मु'अल्लक़न रिवायत किया है मगर इब्न अबी शैबा ने इसे मौसूलन रिवायत किया है। इस असर से मालूम होता है कि आड़ के साथ हाइज़ा औरत क़ुरआन पकड़ और छू सकती है। जब हाथ से हाइज़ा मुसहफ़ पकड़ सकती है तो ज़बान से पढ़ने में कोई मसला ही नहीं है क्योंकि ज़बान तो पाक होती है, वहां नजासत लगने का अंदेशा ही नहीं है। नजासत लग सकती है तो हाथों को और दूसरे हिस्सों को। बावजूद इसके मोमिन हमेशा पाक होता है।

मुमान'अत के दलाइल का जाइज़ा:

इस जगह इख़्तिसार के साथ उन चंद दलाइल के बारे में भी जान लें जो हैज़ की हालत में तिलावत-ए-क़ुरआन से रोकने के लिए पेश किए जाते हैं।

(1)एक बात यह कही जाती है कि हाइज़ा जुनुबी (नापाक) के हुक्म में है, इसलिए जिस तरह जुनुबी क़ुरआन नहीं पढ़ सकता है, उसी तरह हाइज़ा भी क़ुरआन नहीं पढ़ सकती है। हाइज़ा को जुनुबी के हुक्म में मानना सही नहीं है। जनाबत जब चाहें गुस्ल करके दूर कर लें जबकि हाइज़ा हर माह एक निर्धारित अवधि के लिए आता है, इसे अपनी मर्ज़ी से ज़ाइल (समाप्त) नहीं

किया जा सकता है, इसलिए जनाबत और हैज़ में बहुत फ़र्क़ है और दोनों के अलग-अलग हुक्म हैं।

(2)हाइज़ा क़ुरआन न पढ़े इस सिलसिले में जो हदीस पेश की जाती है, वह ज़ईफ़ है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

لا يقرأُ القرآنَ الجنُبُ ولا الحائضُ(ابن ماجه :595)

तर्जुमा: जुनुबी और हाइज़ा क़ुरआन न पढ़े।

यह हदीस ज़ईफ़ है, इसे शैख़ अल्बानी ने मुंकिर कहा है।

(देखें ज़ईफ़ इब्न माजा: 116)

इसी तरह ये भी अल्फ़ाज़ हैं لا تقرأِ الحائضُ ، ولا الجنُبُ شيئًا منَ القرآنِ: यानी हाइज़ा और जुनुबी क़ुरआन से कुछ भी न पढ़ें। इसे भी शेख अल्बानी ने मुंकिर कहा है।

(देखें: ज़ईफ़ तिर्मिज़ी: 131)

(3)मुमान'अत के लिए क़ुरआन से एक दलील दी जाती है कि क़ुरआन को पाक लोग ही छूते हैं। आप इस आयत को पिछली दो आयतों से मिला कर देखें तो बात वाज़ेह (स्पष्ट) हो जाती है। अल्लाह का फ़रमान है:

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ (الواقعة: 7977)

तर्जुमा: बेशक यह क़ुरआन बहुत बड़ी इज़्ज़त वाला है, जो एक महफ़ूज़ किताब मे दर्ज है, जिसे सिर्फ़ पाक लोग ही छू सकते हैं।

"लायमस्सुहू" में ख़बर दी जा रही है कि इसे पाक लोग छूते हैं और यहाँ "हू" ज़मीर का मर्जा साबिक़ आयत "किताब मकनून" यानी लौह-ए-महफ़ूज़ है और पाक लोग से मुराद फ़रिश्ते हैं। गोया मानी ये हुआ कि लौह-ए-महफ़ूज़ को सिर्फ़ फ़रिश्ते छूते हैं या कुछ लोग "हू" ज़मीर का मर्जा क़ुरआन लेते हैं, इस सूरत में मानी ये होगा कि जो क़ुरआन लौह-ए-महफ़ूज़ में है, उसे पाक लोग यानी फ़रिश्ते ही छूते हैं। इसलिए इस आयत की रोशनी में ये नहीं कहा जा सकता कि कोई बिला वज़ू तिलावत नहीं कर सकता या हाइज़ा औरत तिलावत नहीं कर सकती है।

सीरत निगारों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ख़त का ज़िक्र किया है जिसे आपने अम्र बिन हज़म को देकर यमन की तरफ़ भेजा था, इसमें आपका ये फ़रमान है:

لا يَمَسُّ القُرآنَ إِلَّا طاهِرٌ (صحيح الجامع:7780)

तर्जुमा: पाक शख़्स के अलावा क़ुरआन मजीद को कोई और न छुए।

यह रिवायत मुवत्ता, दारमी, इब्न हिब्बान, बैहक़ी, दारक़ुतनी और तबरानी वग़ैरह में मौजूद है, इसे मुतअद्दिद (बहुत से) अहल ए इल्म ने ज़ईफ़ कहा है और कुछ ने सहीह भी कहा है। शैख़ अल्बानी भी सहीह क़रार देते हैं।

इस हदीस की रोशनी में ये कहा जाएगा कि हाइज़ा औरत मुसहफ़ देख कर तिलावत करते वक्त हाथ में दस्ताना लगा ले और इस क़ैद के साथ ऊपर मैंने ज़िक्र भी किया है और इमाम बुख़ारी का असर भी पेश किया है।

हैज़ की हालत में तिलावत से मुताल्लिक़ दीगर मसाइल:

(1)इस तहरीर का ख़ुलासा ये है कि हैज़ वाली औरत ज़ुबानी क़ुरआन की तिलावत करे तो कोई मसला नहीं है, इलैक्ट्रोनिक डिवाइस यानी मोबाइल वग़ैरह से भी तिलावत करे तो कोई मसला नहीं है लेकिन मुसहफ़ हाथ में ले कर तिलावत करे तो हाथ में दस्ताना लगा ले।

(2)हैज़ वाली औरत को क़ुरआन से मुताल्लिक़ कई काम हो सकते हैं मसलन क़ुरआनी आयतों को लिखना, बच्चों को नाज़रा पढ़ाना, क़ुरआन की तजवीद, तफ़सीर या दर्स देना या किसी को उठा कर मुसहफ़ देना या घर की सफ़ाई के वक्त एक जगह से दूसरी जगह क़ुरआन रखना, ये सारे काम हाइज़ा कर

सकती है इस बात के साथ कि मुसहफ़ हाथ में लेते वक्त दस्ताना लगा लिया जाए।

(3)हैज़ की हालत में आयत सजदा की तिलावत करे तो वो सजदा तिलावत कर सकती है और सजदा तिलावत के लिए तहारत शर्त नहीं है, नीज़ ये भी मालूम रहे कि सजदा तिलावत वाजिब नहीं है, कोई छोड़ दे या छूट जाए तो गुनाह नहीं है।

(4)बाज़ (कुछ) ख़ातून मसाजिद में दर्स व तदरीस का काम करती हैं, ऐसे में मेरा मशवरा ये है कि दर्स व तदरीस के लिए मस्जिद से अलग इंतिज़ाम करें या मस्जिद में ही अलग हॉल हो जो नमाज़ से अलग हो, फ़क्त तालीम के लिए मुख़्तस (ख़ास) हो जहाँ मर्दों की आमद न हो और न किसी क़िस्म के फ़ितना का अंदेशा हो तो कोई मसला नहीं है जैसे मस्जिद में इमाम के लिए या गोदाम के लिए कमरा मुख़्तस होता है। इसकी वजह ये है कि औरतों को हर माह हैज़ आता है और हैज़ वाली औरत को मस्जिद में ठहरना मना है, ताहम मस्जिद के इस हिस्से में औरत ठहर सकती है जो नमाज़ के अलावा दीगर ज़रूरतों के लिए मुख़्तस किया गया हो।

(5)बाज़ ख़ातून कामकाज के वक्त क़ुरआन की रिकॉर्डिंग घर में चालू कर देती हैं ताकि काम भी करें और तिलावत भी सुनें, ऐसे में हाइज़ा का क़ुरआन सुनने में कोई हरज (नुक़सान) नहीं है, सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हैज़ की हालत में होतीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी गोद में सर रखकर क़ुरआन की तिलावत किया करते थे।

(6)ऊपर भी ये बात ज़िक्र की गई कि हाइज़ा ख़ुद पर या दूसरों पर क़ुरआनी आयतें पढ़कर दम कर सकती है, कोई मसला नहीं है और इसी तरह जो औरत हैज़ की हालत में हो उस पर भी दम किया जा सकता है।

****

नोट: इसे स्वयं भी पढ़ें और दूसरों के साथ भी साझा करें।

अधिक धार्मिक मुद्दों, आधुनिक विषयों और फिक्ही संबंधी सवालों की जानकारी के लिए विजिट करें-

YOUTUBE LINK KE LIYE CLICK KARE

WEBSITE KELIYE CLICK KARE

MAZEED PDFS KE LIYE CLICK KARE